पटना में दिनांक–23 मई, 2017 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	ऊर्जा विभाग		
1.	"बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति–2017" की स्वीकृति एवं बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति–2011" को नई संबंर्द्धन नीति, 2017 के प्रवृत होने तक अवधि विस्तार के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	भवन निर्माण विभाग		
2.	भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर कुल 100 (एक सौ) कनीय अभियंताओं (असैनिक) के नियोजन की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
3.	Comprehensive Treasury Management Information System के अन्तर्गत e-Payment की व्यवस्था लागू करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
4.	राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पे–मैट्रिक्स में संशोधन के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
	स्वास्थ्य विभाग		
5.	डा० टी० आर० के० नायडू, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करगहर, रोहतास को दिनांक–01.10.2000 से लगातार पॉच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	5.	स्वीकृत।
	स्वास्थ्य विभाग		
6.	स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि० (Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Limited), पटना के लिए कंपनी सेक्रेटरी (Company Secretary) के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति।	6.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7. एल०पी०ए० सं०–1561/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–18.10.2016 के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी के आदेश का निरस्त किये जाने के उपरान्त श्री अल्लामा मुख्तार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–987/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी– सह–अंचलाधिकारी, अतरी, गया सम्प्रति निलंबित को निलंबन मुक्त करते हुए "पाँच वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक तथा पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक" का दंड अधिरोपित किये जाने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

कृषि विभाग

8. वर्ष 2017–18 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सुखे जैसी आपातकालीन स्थिति अत्पन्न होने पर सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 150.7175 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रूपये, कुल 175.00 करोड़ रूपये (एक अरब पचहत्तर करोड़ रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

9. वर्ष 2016 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबंधों/संरचनाओं/बराजों इत्यादि के पुनर्स्थापन हेतु जल संसाधन विभाग को वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 2,51,68,00,000/–(दो सौ इक्यावन करोड़ अड़सठ लाख रूपये) मात्र अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

10. जल संसाधन विभाग में श्री इन्दु भूषण कुमार (दिनांक–31.05.2017 को सेवानिवृत होने वाले मुख्य अभियंता को अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता के समकक्ष तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद पर संविदा के आधार पर दो वर्षों के लिए नियुक्त करने का प्रस्ताव। — 10. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

11. पटना में डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी की स्थापना की स्वीकृति, साईंस सिटी के लिए भवनों के निर्माण, प्रदर्श एवं स्थापना पर व्यय हेतु कुल रू० 397.00 करोड़ (तीन सौ संतानवे करोड़ रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू० 94.00 करोड़ (चौरानवे करोड़ रूपये) मात्र बिहार काउन्सिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।